UPME010025132026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश**,** मेरठ।

उपस्थितः श्री अरविन्द कुमार मिश्रा**-II, (**एच**.**जे**.**एस**.) (UP-6030)**

फौजदारी विविध वाद सं**.-221** सन् **2026**

श्री खाटूश्याम कन्स्ट्रक्शन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व 3 अन्य

निस्तारण प्रार्थना पत्र **7** ख अन्तर्गत धारा **5** मियाद अधिनियम

12.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई।

2. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. प्रार्थी द्वारा परिवाद संख्या 17000/2020, श्री खाटूश्याम कन्सट्रक्शन बनाम श्रीमती अंकिता गोयल एवं अन्य, थाना-ब्रहमपुरी, मेरठ, में विद्वान अपर मुख्य न्यायाकि दण्डाधिकारी, न्यायालय संख्या-7, मेरठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 05.01.2026 के विरुद्ध दाण्डिक अपील योजित करने में हुये विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थनापत्र 7 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रार्थी /अपीलकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 7 ख मय शपथ पत्र 8 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 05.01.2026 को मान्नीय न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व आदेश पारित कर दिए, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी/प्रार्थी को आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की वैधानिक अवधि 30 दिवस निर्धारित है तथापि अपील प्रस्तुत करने में असामान्य परस्थितिवश विलम्ब हो गया। यह कि विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया है, अपितु अपीलार्थी की भांजी का विवाह राजस्थान राज्य के जयपुर में संपन्न होना निर्धारित था, जिसके कारण अपीलकर्ता को विवाह की तैयारियों, भात एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कई दिवसों तक वहाँ रहना पड़ा। प्रार्थी/अपीलकर्ता विवाह उपरांत तत्काल वापस आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर तथा आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का विधिक परार्मश प्राप्त किया तथापि उसी अवधि में अधिवक्ता के चुनाव/बार एसोसिएशन संबंधी व्यस्तताओं के कारण अधिवक्ता भी पूर्ण समय प्रदान करने में असमर्थ रहे, जिससे अपील का मसौदा तैयार कर समय से प्रस्तुत करना संभव नही हो सका। यह कि विलम्ब परिस्थितिजन्य है इसमें अपीलकर्ता की कोई लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक नहीं है परंतु अपील योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके अपील को विधिवत विचारर्थ स्वीकार करने की कृपा करें।

5. विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति की गई।

6. सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती अंकिता गोयल, मोहित गोयल एवं दिनेश गोयल को अन्तर्गत धारा 506 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया व तीनों अभियुक्तगण को धारा 323 भा.द.सं. के अन्तर्गत 1 वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया गया। प्रार्थी/अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध दाण्डिक अपील दिनांक 21.02.2026 को प्रस्तुत की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 16.01.2026 को उक्त आलोच्य निर्णय व आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करना बताया। मुंसरिम की आख्यानुसार उक्त दाण्डिक अपील 16 दिन के विलम्ब से योजित किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता नें विलम्ब का कारण बताया कि प्रार्थी की भांजी का विवाह राजस्थान राज्य के जयपुर में संपन्न होना निर्धारित था जिसके कारण अपीलकर्ता को विवाह की तैयारियों, भात एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कई दिवसों तक वहाँ रहना पड़ा। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र से समर्थित है। विधि का यह सिद्धांत है कि किसी भी मामले को निस्तारित करने से पूर्व दोनों ही पक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही गुण-दोष के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचा जाना चाहिए।

8. माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल गफ्फूर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर**. 2012** सु.को**.** में यह प्रतिपादित किया है कि यदि विलंब के कारण को पर्याप्त एवं न्यायोचित पाया जाता है, तो ऐसे विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए।

9. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के परप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील, जो 16 दिन विलम्ब से दाखिल है, को गुण-दोष पर निस्तारित करने के लिए इस विलम्ब को हर्जे पर माफ किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र 7 ख हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 7 ख, अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मु० 500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दाण्डिक अपील योजित करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

अधिरोपित हर्जा विपक्षी संख्या-2,3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता को नियत दिनांक के पूर्व अदा किया जाए। हर्जा अदायगी के तत्पश्चात्, दाण्डिक अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2026 को पेश हो।

दिनांक**- 12.08.2026**

(अरविन्द कुमार मिश्रा**-II)**
सत्र न्यायाधीश**,**
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference, for authentic copy, please apply for certified copy. (Steno).

Digitally signed by ARVIND KUMAR MISHRA
Date: 2026.08.14 10:50:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court